संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक / स्थापना अवि. / 2016 /   नया रायपुर, दिनांक :–.........
. / .... /

फार्मासिस्ट ग्रेड–02 (HSPH16) भर्ती परीक्षा –2016

विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जिला स्तरीय फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने के लिए छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2016 से छत्तीसगढ़ व्यासायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :–

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	सीधी भर्ती के रिक्त पद								
			कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन (OL, BL)	योग	न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
फार्मासिस्ट ग्रेड–02 (149 पद) (जिला अस्प., सिविल अस्प., सामु. स्वा. केन्द्र)	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	तृतीय	**149**	अना.	16	12	2	4	34	आयु सीमा 01.01.2016 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष एवं शासन द्वारा समय–समय पर छूट के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।	(1)फार्मेसी कौंसिल द्वारा पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा तथा (2)छ.ग. फार्मेसी कौंसिल जीवित पंजीयन।
				अ. जा.	5	3	1	0	9		
				अ.ज.जा.	49	32	9	6	96		
				अ.पि.व.	3	6	0	1	10		

नोट :–1. उपरोक्त में बैकलॉग पद भी शामिल है।
2. उक्त पद हेतु केवल OL (एक पैर) एवं BL (दोनों पैर) निःशक्त ही पात्र होगें।
3. बस्तर / सरगुजा संभाग के लिए उक्त संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होगे।

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ द्वारा रिट पिटी”ान (सी) 591 / 2012, रिट पिटी”ान(सी) 592 / 2012, रिट पिटी”ान (सी) 593 / 2012, या रिट पिटी”ान (सी) 594 / 2012, में पारित होने वाले आदे”ा / निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

सामान्य नियम एवं शर्तें :–

1. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटी”ान (सी) 591/2012, रिट पिटी”ान (सी) 592/2012, रिट पिटी”ान (सी) 593/2012, या रिट पिटी”ान (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदे”ा/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

2. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 दिनांक 10.03.2015 के द्वारा जारी परिपत्र अनुसार सरगुजा एवं बस्तर संभाग के पदों के लिये उस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी को ही मान्य होंगे।

3. पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक है।

4. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्र”ाासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रति”ात् संगत निः”ाक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निः”ाक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना होगा।

   (ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदे”ा दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदो ंके लिये उपयुक्त OL (एक पैर) एवं BL (दोनों पैर) से निः”ाक्त ही पात्र होंगे।

5. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। जिसकी स्चना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

6. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

7. छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. फार्मेसी कौंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

8. अनु.जाति. अनु.जन जाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिलें में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें।

9. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2016 का न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक नया रायपुर, दिनांक 17.12.2015 में छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगारों के हित में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में एक बार क लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।

10. नियुक्ति की सिफारिश कराने वाले, किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

11. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

12. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शाये गये पद संख्या में विज्ञापित पदा की संख्या से ज्यादा नहीं होगा। प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने, स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवाये छत्तीसगढ़ को होगा।

13. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

14. छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा उस जिले के आरक्षण रोस्टर अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें।

15. भूतपूर्व सैनिक, निःशक्तजन एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा।

16. उक्त मेरिट सूची एक वर्ष के लिये वैद्य होगी।

17. बस्तर व सरगुजा संभाग के जिलों हेतु आवेदक उस संभाग के जिलों का स्थानीय निवासी होना आवश्यक होगा, उक्त संभाग के अभ्यार्थी अपने संभाग के भीतर जिस जिले के लिये आवेदन करेगा उसी जिले के मेरिट सूची में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। उक्त दोनों संभाग को छोड़कर छ.ग. के शेष अन्य जिलों के रिक्त पदों के लिए अभ्यार्थी जिस जिले के लिये आवेदन करेगा, उस जिले के लिये बनने वाली मेरिट सूची के लिये पात्र होंगे।

18. विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके मेरिट के आधार चयन किया जावेगा

19. पूर्व में किसी अभ्यार्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त या किसी भी प्रकार से दण्डित किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

20. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21. शासन नियमानुसार पेंशन की पात्रता नही होगी।

22. अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य इस पद हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियुक्ति के समय कराया जावेगा। प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उम्मीदवारी/परीक्षा–परिणाम/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

23. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिके"ान (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटने"ान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करने के प"चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

24. **<u>परीक्षा पद्धति</u>** :– छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसका विस्तृत विवरण व्यापमं के वेबसाईट पर देखी जा सकेगी।

25. जिलेवार रिक्त पदों की आरक्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

जिलेवार फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के पदों (सीधी भर्ती व बैकलॉग) का आरक्षणवार विवरण

क्र.	जिले का नाम	पदों का प्रकार (सीधी भर्ती के / बैकलॉग के पद)	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल योग	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन के लिए वर्गवार आरक्षित पद			
			अना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ. पि. व.		अना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ. पि. व.	अना.	अ. ज.	अ. ज. जा	अ. पि. व.	अन .	अ. जा.	अ. ज. जा	अ. पि. व.
1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	गरियाबंद	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	रायपुर	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बलौदाबाजार	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	धमतरी	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कवर्धा	सीधी भर्ती	0	1	1	2	**4**	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	महासमुंद	सीधी भर्ती	2	0	0	1	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	राजनांदगांव	सीधी भर्ती	13	1	13	0	**27**	7	1	5	1	1	0	1	0	1	0	1	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	दुर्ग	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	बालोद	सीधी भर्ती	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	बेमेतरा	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	बिलासपुर	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मुंगेली	सीधी भर्ती	4	2	1	1	**8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	3	1	0	1	**5**	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	कोरबा	सीधी भर्ती	1	0	2	1	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	रायगढ़	सीधी भर्ती	1	0	1	0	**2**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	जांजगीर	सीधी भर्ती	1	1	0	0	**2**	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	2	0	**2**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	बस्तर	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	3	0	**3**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	कोण्डागांव	सीधी भर्ती	0	0	4	0	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	10	0	**10**	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	1	0
18	बीजापुर	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	1	10	0	**11**	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0
19	कांकेर	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	2	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20	दन्तेवाड़ा	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	2	0	**2**	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21	सुकमा	सीधी भर्ती	0	0	3	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	11	0	**11**	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	नारायणपुर	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	सरगुजा	सीधी भर्ती	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	बलरामपुर	सीधी भर्ती	3	1	8	2	**14**	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	सूरजपुर	सीधी भर्ती	2	0	0	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	4	0	**4**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	कोरिया	सीधी भर्ती	0	0	2	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बैकलॉग	0	0	4	0	**0**	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27	जशपुर	सीधी भर्ती	3	1	9	2	**15**	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0
		बैकलॉग	0	0	4	0	**4**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		**सीधी भर्ती**	**31**	**7**	**44**	**9**	**91**	**10**	**2**	**12**	**5**	**1**	**1**	**3**	**0**	**4**	**0**	**2**	**1**
		बैकलॉग	**3**	**2**	**52**	**1**	**58**	**2**	**1**	**20**	**1**	**1**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**
महायोग			**34**	**9**	**96**	**10**	**149**	**12**	**3**	**32**	**6**	**2**	**1**	**9**	**0**	**4**	**0**	**6**	**1**

उक्त पदों की संभागवार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्ते, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुक्ल भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी व्यापम को वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़